दुर्गाशंकर बनाम लाडबाई, सरकार

रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या : 2022/263

20.10.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहसू न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यु पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 30.07.2021 में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली में धारा 88, 89 व 188 राज. टी. एक्ट के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली में खसरा संख्या 674/859 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का स्व. पति श्री कैलाश चन्द सगे भाई है। दोनों ने अपनी आमदनी से भूमि खसरा संख्या 674/859 व 674/868 को संयुक्त रूप से पड़त से फाड कर कृषि योग्य बनाया था और दोनों भाईयो की सहमति से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज करवा दी थी। काश्तकारी अपीलान्ट वादी ही करता आ रहा है और वादी ने ही उक्त भूमि को आवंटित करवाया है। प्रतिवादी संख्या 01 लाड़ बाई ने अपने पति कैलाश से उनके जीवनकाल में कोई संतान्त पैदा नहीं होने से कैलाश को छोड़कर वर्ष 1998 में भैरूलाल से विवाह कर लिया जिसके पश्चात् वाद ग्रस्त आराजी में उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न ही कब्जा रहा लेकिन भूमि लाड़ बाई के नाम होने से उसके मन में बदनीयती आ गई और भूमि को बैचान करने व बेदखल करने पर आमादा हो गई। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 29.10.2020 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध श्रीमान् के यहाँ अपील पेश की गई, जिसमें निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य पर कोई विवेचन नहीं किया गया। वादी व वादी के गवाहों से प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने के कारण साक्ष्य अखण्डित रही, इसके बावजूद भी तनकी संख्या 01 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया। वाद व अपील में एकतरफा कार्यवाही रही है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा लाड बाई को मृत्यु के बाद नाते जाना मानकर अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व अभिवचन के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं थी फिर भी अपील को खारिज करने का आदेश दिनांक 30.07.2021 को दिया गया है जिससे असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर रिव्यू का आवेदन पेश करता है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य न होते हुए भी अपील को खारिज करने में भारी भूल की है। ग्राम पंचायत काछोला पंचायत

समिति हिण्डोली के द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि लाड बाई अपने पति के जीवनकाल में ही अन्यत्र ग्राम रामपाली तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में नाता करके चली गई थी और अपने जीवनकाल से ही भैरूलाल की पत्नी बनकर रह रही है। उसके कोई संतान भी नहीं है और ओधन्धा में कोई आना जाना भी नहीं है। पंचायत के प्रमाण पत्र जिसकी नकल दिनांक 28.10.22 को प्राप्त हुयी, से भी यह प्रमाणित है कि उक्त लाड बाई द्वारा अपने पति कैलाश के जीवन काल मे ही अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 05 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय श्रीमान के द्वारा उपरोक्त उनवान की अपील का निर्णय दिनांक 30.07.21 को कर दिया गया है। निर्णय में एकतरफा अखंडित साक्ष्य होते हुये भी केवल यह लिखकर की लाड बाई के नाते जाने का कोई प्रमाण पत्र पेश नही किया है। निर्णय में उक्त कथन आने पर अपीलांट प्रार्थी ने ग्राम पंचायत काछोला में इस बाबत जांच करने हेतू आवेदन पेश किया था। इस बाबत पंचायत द्वारा प्रार्थी को बुलाया भी नही। दिनांक 27.10.22 को प्रार्थी ने अपने आवेदन के बाबत् क्या आदेश किया? इस बाबत पंचायत से जानकारी की तो बताया कि जांच करके प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। प्रार्थी अपीलांट ने दिनांक 28.10.22 को उक्त जांच की नकल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। ऐसी स्थिति मे दिनांक 30.07.21 से पंचायत का प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने तक का समय मुजरा किया जाकर प्रार्थना पत्र को अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे.(राज.) 1995 पेज 258, 2000–2001 डी.एन.जे.(राज.) (सप्लीमेंट्री) पेज 245 प्रस्तुत किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.21 से पंचायत का प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने दिनांक 28.10.22 तक का समय मुजरा दिया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र को अवधि मध्य शुमार किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 30.07.2021 के बाबत् तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा मूल प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय दिनांक 30.07.2021 को किया गया था। अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 278 के अनुसार रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश करने की समय सीमा 60 दिवस हैं। जबकि अधिवक्ता अपीलांट ने रिव्यु प्रार्थना पत्र लगभग

344 दिन विलम्ब से पेश किया है। अधिवक्ता अपीलांट इस विलम्ब का कोई पर्याप्त व समुचित कारण बताने में असफल रहे हैं। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते रिव्यु अवधि बाधित है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किया जाता है। प्रार्थी ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की नकल दिनांक 28.10.2022 को मिलने पर रिव्यु करने का आधार बता रहे है जबकि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.07.2021 इससे पूर्व का है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक में कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड प्रतीत नहीं होती। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा